IRON AND STEEL (CONTROL) AMENDMENT ORDER, 1973 AND MINERAL CONCESSION (SECOND AMENDMENT) RULES, 1973

THE DEPUTY MINISTER* IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUBODH HANSDA): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Iron and Steel (Control) Amendment Order, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. SO 214(E) in Gazette of India dated the 12th April, 1973, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See No.* LT-5032/73]

(2) A copy of the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. GSR 345 in Gazette of India dated the 31st March, 1973, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. [*Placed in Library See No* LT-5033/73]

श्री मधु लिमये उपाध्यक्ष महोदय, मझे दो मुद्दे रखने है कोई लम्बा भाषण नही करना है। आपने यह देखा कि यह एसेशियल कमोडिटीज एक्ट है। इसके खड 3 के तहत सरकार को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए है, बहुत व्यापक अधिकार, और खड चार मे यह कहा गया है

"4(b) Every order made under this section by the Central Government, or by any officer or authority of the Central Government, shall be laid before both Houses of Parliament as soon as may be after it is made."

How soon is the question.

यह मेरा सवाल है। इसमे आप देखिए कि यह आर्डर जारी किया गया है 12 अप्रैल को। तो क्या 32 दिन लगते हैं यह आदेश यहा रखने के लिये ? इसके ऊपर मै आपका निर्णय चाहता हूं। कोई मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हू।

दूसरी बात के ऊपर में आपका नया निर्णय चाहता हू। यह जो आर्डर है इसका पृष्ठ 3 देखिए। इसमें एक बहुत बडा अधिकार इन्होंने अपने पदाधिकारी को दिया है

"Power to suspend supplies of scrap: Notwithstanding anything contained in this Part or in the conditions governing the acquisition or disposal of any categories of scrap, the Controller may, for reasons to be recorded in writing, order suspension of further supplies of scrap forthwith to any person against whom there existed a credible information, or a reasonable suspicion, of the contravention of any condition laid down under this Order, or of any direction issued thereunder.

NOTE (1) The provisions of this clause shall be invoked only as an interim action in order to forestall further misutilisation of scrap and shall be followed with further action, regard being had to the circumstances of the case."

जानकारी मे कुछ ऐसे उदाहरण आए होगे कि जब दुरुपयोग किया गया होगा स्क्रेप का, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब इस तरह के आर्डर सभा पटल पर रखे जाय तो साफ-साफ जैसे विधेयक के साथ स्पष्टीकरण आता है, व्याख्या आती है उद्देश्यो की, ऐसे ही इस आदेश के साथ यह भी आना चाहिए कि यह कदम उठाना क्यो जरूरी हुआ है और इस प्रकार के दुरुपयोग के कौन उदाहरण सरकार के ध्यान मे आए है ? इस पर आप निर्णय दीजिएगा। आखिरकार जब हम बहुत ज्यादा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अधिकार सरकार को देते है तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार इन अधिकारो का इस्तेमाल कैसे करती है ? इसीलिए सदन के पटल पर ये सारे आदेश रखे जाते हैं। उनके साथ